रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 973] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 7, 2007/श्रावण 16, 1929
No. 973] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 7, 2007/SRAVANA 16, 1929

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2007

धन-कर

का.आ. 1375(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धन-कर नियम, 1957 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन-कर (पहला संशोधन) नियम, 2007 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. धन-कर, नियम 1957 में,-

(क) नियम 4क में,-

(i) "मामले के निपटारे के लिए आवेदन का फार्म" शीर्षक के स्थान पर "मामले के निपटारे के लिए आवेदन और निर्धारण अधिकारी को सूचना का प्ररूप" शीर्षक रखा जाएगा ।

(ii) उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(4) निर्धारिती उस तारीख को जिसको वह समझौता आयोग को आवेदन करता है, प्ररूप घकक में निर्धारण अधिकारी को आयोग को किए गए ऐसे आवेदन के बारे में सूचित करेगा ।";

(ख) नियम 4कक के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

" 4कक.(1) समझौता आयोग, धारा 22घ की उपधारा (2ख) के अधीन आयुक्त से रिपोर्ट मंगवाते समय प्ररूप 22घक में (उपाबंध और विवरणों तथा ऐसे उपाबंध के साथ अन्य दस्तावेजों से भिन्न) यथास्थिति धारा 22घ की उपधारा (1) के अधीन आदेश की एक प्रति या यथास्थिति धारा 22घ की उपधारा (2क) के अधीन अनुज्ञात समझे गए आवेदन के संबंध में सूचना की प्रति के साथ आवेदन की एक प्रति भेजेगा ।

(2) जहां धारा 22 की उपधारा (2ग) के अधीन किसी आवेदन को अविधिमान्य घोषित नहीं किया गया है या धारा 22घ की उपधारा (2घ) के अधीन किसी आवेदन पर आगे कार्रवाई किए जाने के लिए अनुज्ञात किया गया है वहां प्ररूप घक में आवेदन के उपाबंध में अंतर्विष्ट सूचक और विवरण तथा ऐसे उपाबंध से संलग्न दस्तावेज आयुक्त को भेजे जाएंगे।"

(ग) परिशिष्ट 2 में, प्ररूप घक के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :-

प्ररूप	"घक	मामलों का निपटारा करने के लिए आवेदन [कृपया धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 22ग और धन-कर नियम 1957 के नियम 4क और 4कक देखिए]	समझौता आयोग में न्यायपीठ सं. .... में निपटारे संबंधी आवेदन सं. ....20........20....

व्यक्तिगत सूचना	नाम		स्थायी लेखा सं. (पैन)
	फ्लैट/द्वार/ब्लाक सं0	परिसर/भवन/ग्राम का नाम	प्रास्थिति (सही का निशान लगाएं) ☑ (i) व्यष्टि ☐ (ii) हिन्दू अविभक्त कुटुंब ☐ (iii) कंपनी ☐
	मार्ग/गली/डाकघर	क्षेत्र/अवस्थान पिन कोड	
	नगर/शहर/जिला	राज्य	
	ई मेल पता	(एसटीडी कोड) और फोन नंबर ( )	

निर्धारण अधिकारिता और फाइल करने की प्रास्थिति	1.	निर्धारण अधिकारी का पद नाम (वार्ड/सर्किल)
	2.	आवेदक के ऊपर अधिकारिता रखने वाला आयुक्त
	3.	उस संबंध में निर्धारण वर्ष जिसके बारे में समझौते के लिए आवेदन किया गया है और विवरणी फाइल करने की तारीख

प्रकटित आय की विशिष्टियां	1.	वह तारीख जिससे कार्यवाहियां लंबित हैं (निर्धारण वर्ष के अनुसार)
	2.	निपटाए जाने वाले मुद्दों की विशिष्टियां, मामले की प्रकृति और परिस्थितियां (निर्धारण वर्ष के अनुसार)
	3.	धन का पूर्ण और वास्तविक प्रकटन जिसका निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रकटन नहीं किया गया है (निर्धारण वर्ष के अनुसार)
	4.	(3) में निर्दिष्ट धन पर संदेय धनकर की अतिरिक्त रकम (निर्धारण वर्ष के अनुसार)
	5.	संदेय ब्याज (निर्धारण वर्ष के अनुसार)
	6.	(5) और (6) का योग
	7.	(7) में निर्दिष्ट कर और ब्याज के संदाय की तारीख

सत्यापन

मैं......................जो..................................पुत्र/ पुत्री/ पत्नी सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं / करती हूं कि जो कुछ ऊपर और उपाबंध में [जिसके अंतगर्त उस उपाबंध के साथ संलग्न कथन और दस्तावेज भी है] कथित किया गया है वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है । मैं..................(अपना पदनाम लिखें) के रूप में अपनी हैसियत में................(अपना पदनाम लिखें) यह आवेदन कर रहा/रही हूं और मैं यह आवेदन को करने और इसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं मैं यह भी सत्यापित करता हूं कि ये कार्यवाहियां जिनके लिए यह आवेदन किया जा रहा है, वह धनकर अधिनियम की धारा 22क के खंड (ख) के परंतुक के अंतर्गत नहीं आता है ।

....आज..तारीख को सत्यापित ।

स्थान		आवेदक के हस्ताक्षर	

उपाबंध

धनकर अधिनियम, 1957 की धारा 22 ग (1) के अधीन आवेदन के भाग ग, मद 3 में निर्दिष्ट विशिष्टियों वाला विवरण

	1.	वह धन की रकम जिसका निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रकटन नहीं किया गया है (वहीं जो आवेदन के भाग ग मद 3 में है)
	2.	उक्त धन पर संदेय धन की अतिरिक्त रकम
	3.	संदेय ब्याज
	4.	आवेदक द्वारा चाही गई समझौते के निबंधनों सहित (निर्धारण वर्ष के अनुसार) निपटारा किए जाने वाले मुद्दों के संबंध मे तथ्यों का पूर्ण और वास्तविक विवरण
	5.	वह रीति जिसमे मद सं. 1 मे निर्दिष्ट धन व्युतपन्न हुआ है (निर्धारण वर्ष के अनुसार)
स्थान		तारीख		आवेदक का हस्ताक्षर	

प्ररूप	धकक	समझौता आयोग को किए गए आवेदन की निर्धारण अधिकारी को सूचना [धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 22ग और धन-कर नियम, 1957 का नियम 4क देखिए]	केवल कार्यालय उपयोग के लिए प्राप्ति सं............. तारीख.......... प्राप्तकर्ता पदधारी की मुहर और हस्ताक्षर

भाग क व्यक्तिगत सूचना	नाम			स्थायी लेखा सं. (पैन)
	फ्लैट./ द्वार/ ब्लाक सं0	परिसर/भवन /गांव का नाम		प्रास्थिति (सही का निशान लगाएं)
	मार्ग/गली/डाकघर	क्षेत्र/ अवस्थान		(i) व्यष्टि ☐ (ii) हिन्दू अविभक्त कुटुंब ☐ (iii) कंपनी ☐ (iv) फर्म ☐
	नगर/ शहर/ जिला	राज्य	पिन कोड	
	ई मेल पता	(एसटीडी कोड)- फोन नंबर ( )		

निर्धारण अधिकारिता और फाइल करने की अवस्थिति	1.	निर्धारण अधिकारी का पद नाम (वार्ड/सर्किल)
	2.	आवेदक के ऊपर अधिकारिता रखने वाला आयुक्त
	3.	उस संबंध में निर्धारण वर्ष जिसके बारे में समझौते के लिए आवेदन किया गया है और विवरणी फाइल करने की तारीख

प्रमाणपत्र

मैं.....पुत्र/ पुत्री/ पत्नी सत्यापित करता हूं / करती हूं कि मैंने आज धनकर अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन प्ररूप सं. 34घक में ऊपर वर्णित विशिष्टियों सहित डाक / दस्ती द्वारा समझौता आयोग की.....न्यायपीठ में *(जो लागू न हो उसे काट दें)* रसीद संख्यांक ....*(यदि आवेदन दस्ती किया गया है तो रसीद संख्यांक लिखें)*. .....*की हैसियत में .....(अपना पदनाम लिखें) आवेदन किया है*

स्थान		तारीख		आवेदक के हस्ताक्षर

[अधिसूचना सं. 216/2007/फा.सं. 142/11/2007-टीपीएल]

संजित त्रिपाठी, अवर सचिव

टिप्पण :—मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ. 3384(अ), तारीख 18-10-1957 द्वारा प्रकाशित किये गये थे और उनमें अन्तिम संशोधन, धन-कर (पहला संशोधन) नियम, 2001, अधिसूचना सं. का.आ. 714(अ), तारीख 27-7-2001 द्वारा किया गया था ।